

BOOK No. 01 SL No. 135
Dated 20 SEP 2022

प्रपत्र-०४
शपथ-पत्र BIHAR



मैं, शम नरेश प्रसाद पिता/प्रति स्वर्गी अर्जुन प्रसाद

उम्र 60 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड संख्या 21

मोहल्ला ब्राह्मण टोली, पोस्ट पुलना थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड संख्या 21 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम, मुजफ्फरपुर के वार्ड 21 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

शम नरेश प्रसाद
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर -

नाम- रवि कुमार शुक्ला

पता- ब्राह्मण टोली, पुलना बाजार
वार्ड नं. 21, थाना नगर, मुजफ्फरपुर

Deepak Kumar
20.09.2022
Advocate

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम- श्रीमती देवी

पता- ब्राह्मण टोली, पुलना बाजार
वार्ड नं. 21, थाना नगर, मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20.09.2022

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट देंगे
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर का समक्ष शपथ ली जाएगी।

PRASAD
NOTARY MUZAFFARPUR

BOOK No. 01 SL No. 137
Dated 20 SEP 2022



पालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्र
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं

मु.अ.प्र.प्र.स. जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम
के वार्ड संख्या 21 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन
अभ्यर्थी का नाम- राम नरेश प्रसाद
पिता/पति का नाम- स्वर्गीय जलीवर प्रसाद

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- | शून्य |
| (ii) | दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- | शून्य |
| (iii) | किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) | शून्य |
| (iv) | दिया गया दण्ड- | शून्य |
| (v) | काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- | शून्य |
| (vi) | कारावास से मुक्त होने की तिथि- | शून्य |

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- | शून्य |
| (ii) | न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- | शून्य |
| (iii) | क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- | शून्य |
| (iv) | यदि निष्पादित है, तो | |

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------|
| (क) | निष्पादन की तिथि- | शून्य |
| (ख) | पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- | शून्य |

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

- | | | |
|------|--|-------|
| (i) | न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- | शून्य |
| (ii) | आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- | शून्य |



क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर ऐसे किसी लॉबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा संक्षिप्त विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है-
- अंतर्गत धारा 147, 341, 223, 324, 354, 379 आदि 60/90 न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- मुख्य-भारत दण्डाधिकारी, मुजसुदपुर
- अपराध संख्या- नगर भाना कल (नं. 220/13,
- आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक-
- उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
- अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 379, 354, 448, 504 आदि 60/90 न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- मुख्य-भारत दण्डाधिकारी, मुजसुदपुर
- अपराध संख्या- नगर भाना कल (नं. 235/13
- आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक-
- उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- मां नारायणी देवी के नाम की पेट्टा एक मंजिला मकान रुकवा 3 कट्टा सामिलतात मूल्य 50,00,000/2

(iii) भवन- मूल्य 12,00,000/2

रुक

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। मूल और रु 62,00,000/2

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 30,000/- रु०



(ii) बैंक बैलेंस 3034/- रु०
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण श्री का आभूषण
(पूर्ण विवरण दें)

4 शांख
चोटी का आभूषण
250 शांख

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें-

स्नातक

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 20.09.2022

Contents of the Affidavit/Deed
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
'identified' by Advocate

शम नरेश प्रसाद

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स/प्रॉपर्टी के संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ 'शून्य' विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

शम नरेश प्रसाद
20.09.2022

144-1059/2022